कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर, जिला–जशपुर(छ.ग.)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 11 अगस्त 2024 को आयोजित प्रारंभिक(स्क्रीनिंग) परीक्षा 2024 के संबंध में परीक्षार्थियों संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश–

1– परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में, परीक्षा प्रारंभ होने के **01 घंटा** पूर्व **प्रातः 9:00** बजे उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2– परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ स्वयं का पहचान पत्र यथा–**मतदाता परिचय पत्र/ड्राईविंग लायसेंस/पैनकार्ड/आधार कार्ड/शासकीय कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र** में से किसी एक की मूल प्रति लाना अनिवार्य है । मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

3– प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर **आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही**, फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है । परीक्षार्थी अपने साथ पृथक से **दो अतिरिक्त फोटो** अनिवार्य रूप से साथ लेकर आवें, क्योंकि एक फोटो परीक्षार्थी द्वारा लाये गये प्रवेश पत्र में तथा एक फोटो परीक्षा केन्द्र पर पूर्व से उपलब्ध प्रवेश पत्र में चस्पा किया जाना अनिवार्य है ।

4– परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, ईलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा–स्मार्ट वॉच, स्मार्ट फोन, ईयर फोन, कैमरा अथवा किसी भी प्रकार के ईलेक्ट्रॉनिक यंत्र या सामग्री एवं पर्स, पाउच, तथा स्कार्फ लेकर आना पूर्णतः वर्जित है ।

5– परीक्षार्थी, परीक्षा में केवल नीले रंग के स्याही के बाल पेन का ही उपयोग करें ।

6– परीक्षार्थी, प्रवेश पत्रों में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन ही, परीक्षा कक्ष में वीक्षकों के समक्ष ही करें ।

7– परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में वीक्षक के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, वीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन परीक्षार्थी द्वारा न करने पर, उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा ।

8– परीक्षार्थी, परीक्षा समाप्ति पश्चात् केन्द्राध्यक्ष एवं वीक्षकों से हस्ताक्षर एवं सील/मुहर लगवाकर, साथ में लाये गये प्रवेश पत्र को वापस ले जा सकेंगे । **परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र साथ में ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।**

स्थान– जशपुर ।
दिनांक–06.08.2024

सही/–
अध्यक्ष, चयन समिति
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय
जशपुर(छ.ग.)